"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2017— माघ 11, शक 1938

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक 2/F-06-01001226/2017/वित्त/वि. आ. प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8-9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31-1-2017 से 31-1-2018 तक वृद्धि करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक 2/F-06-01001226/2017/वित्त/वि.आ.प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2/F-06-01001226/2017/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 31-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 31st January 2017

NOTIFICATION

No. 2/F-06-01001226/2017/Fin./FCC.— In exercise of the powers conferred by Article 243-I of the Constitution of India and in pursuance of this department Notification No. 02/L 8-9 (Part) 2016/Fin./FCC., dated 20th January, 2016 the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of the State Finance Commission from the date of 31-1-2017 to 31-1-2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.